न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 39/2016 निर्णय दिनांक :— 30-10-19

उनवान

1. कानाराम पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—वादीगण—

बनाम

1. कमली पत्नी रामपाल
2. मीनाक्षी पुत्री रामपाल
3. अनुराधा पुत्री रामपाल
4 अनिता पुत्री रामपाल
5 कैलाश पुत्र रामपाल
6 राजेश पुत्र रामपाल
7 जगदीश पुत्र कल्याण
8 रामजीलाल पुत्र कल्याण
9 ग्यारसी पत्नी कल्याण
10 प्रभाती पुत्री कल्याण

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:05 IST
Reason: SelfAttested

समस्त जाति मीणा निवासी शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

11. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

12 उप पंजीयक चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण——

वाद घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

अधीन धारा 88, 89, व 188 रा0 टी0 एक्ट

वादी को वाद निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि :—

साबिक आराजी खसरा नं0 855 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू जिला जयपुर मे स्थित रही जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी नाथू पुत्र मोहन, तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी नाथू पुत्र भेरू के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 य 8, व 10 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के ससुर एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 बाबा प्रतिवादी संख्या 9 के पति स्व0 श्री कल्याण ने वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार व हक अधिकारी श्री नाथू पुत्र मोहना के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15/03/1980 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया वादग्रस्त आराजी पर विकय पत्र दिनांक 15.03.1980 से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 निरन्तर बिना किसी बाधा व

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हस्तक्षेप के काबिज काश्त है। वादीगण के पूर्वज स्व0 श्री कल्याण ने ही कय कि गई भूमि का प्रतिफल अदा किया एवं विक्रय पत्र का सम्पूर्ण खर्चा वहन किया, तथा विक्रय पत्र का दिखावटी व नुमायशी केता वादी के बड़े भाई रामपाल के नाम से कराया चूकि जिस समय विक्रय पत्र तस्दीक किया उस समय रामपाल की उम्र महज 13 वर्ष रही। न्याय की अवधारणा है कि 13 वर्ष का बालक न तो संविधा कर सकता एवं न ही प्रतिफल की व्यवस्था कर सकता है। विक्रय पत्र दिनांक 15.03.1980 की निशा मे वादी के बड़े भाई स्व0 श्री रामपाल के पक्ष में दिनांक 26/12/1988 को नामान्तकरण संख्या 110 भरा जाकर तस्दीक किया परन्तु आज दिनांक तक राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज नही को सका इसलिए इन्द्राज दुरूस्ती का दावा लाना लाजिमी हुआ। वादग्रस्त आराजी के वर्तमान संटलमेन्ट मे खसरा नं0 855 के वर्तमान नं0 1754 करबा 0.20 हे0, कायम किये गये जिसकी खातेदारी वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार नाथू पुत्र मोहना के नाम से चली आ रही है जिसको लोपित किया जाना भी न्यायोचित है। एवं वादीगण व मिन प्रतिवादीगण को हिस्सेनुसार वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजी वादी एवं मिन प्रतिवादीगण के पिता की छोडी हुई सम्पत्ती है जिस पर वादी एवं मिन प्रतिवादीगण निरन्तर काबिज काश्त है, तथा अपने अपने हिस्सेनुसार वादग्रस्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आराजी पर काबिज काश्त है। विक्रय प्रतिफल एवं रजिस्ट्री का सम्पूर्ण खर्चा भी वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता पूर्वज श्री कल्याण ने ही वहन किया इसलिए वादग्रस्त आराजी मे वादी के हक हकूम उत्पन्न होते है। वादी एवं मिन प्रतिवादीगण ने अपनी सम्पूर्ण आराजीयात के साथ साथ वादग्रस्त आराजी का भी विभाजन कर लिया है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि मे मोबाईल टावर लगा रखा है जिसका किराया वादी को हर माह मिलता रहता है। दिनांक 02.07.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के बीच कहा सुनी हो गई तो मिन प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि भूमि वादग्रस्त मे अपने निहित खातेदारी अधिकारो की घोषणा करावे, तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह वादी के कब्जे मे मुजाहमत बेजा नही करे न हस्तान्तरण का प्रयास करे। यह कि वादग्रस्त आराजी वादी के पिता द्वारा कय की गई भूमि है जिसमे वादी का जन्म जात हित निहित है इसलिए वादी का घोषणा खातेदारी का अधिकार कानूनन हासिल है। दायरी दावे के लिए बाद कारण दिनांक 02.07.2014 को उत्पन्न– हुआ, तथा वाद हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । वाद की सुनवाई व निस्तारण का अधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 वादी के साथ दावा प्रस्तुत नही करना चाहते इसलिए पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 11

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

भूमिधारी हैं जो आवश्यक फरीक मुकदमा है इसलिए पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी संख्या 12 लोक सेवक है जिसको भूमि वादग्रस्त का दस्तावेज पंजीबद्ध करने का अधिकार हासिल नही है इसलिए पक्षकार बनाया गया है । वादी का वाद अन्दर मयाद पेश है। वादी का वाद पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है। वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं 1754 रकबा 0.20 हे0, वाके ग्राम चन्दलाई से पूर्व खातेदार का नाम हजफ किया जाकर वादी को 1/6 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को 1/6 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9, 10 प्रत्येक को 1/6 –1/6 हिस्से का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे, तथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में मुजाहमत न स्वयं करें न अन्य किसी से करावे। दावा वकील वादी के द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादीगण की तरफ से रामरतन शर्मा एड0 के द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व प्रतिवादीगण की तरफ से जबाब पेश नही करना चाहे जाने पर दिनांक 07.12.2017 को जवाब बन्द किया जाकर, जवाब सरकार में पत्रावली नियत की गयी, किन्तु 07.12.2017, 09.05.2019 तक जवाब सरकार प्राप्त नही होने दावा घोषणा का पक्षकारान के मध्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

होने से जवाब सरकार बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी तो साक्ष्य वादी की शपथ पत्र पेश किया गया व आगे साक्ष्य न ही करवाये जाने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 855 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा ग्राम चन्दलाई में स्थित है जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी नाथू पुत्र मोहन व 1/2 हिस्से की खातेदारी नाथू पुत्र भैरू के नाम दर्ज रिकार्ड है। नाथू पुत्र मोहना के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 15.03.1980 को कम वादी एवं प्रतिवादी 7, 8, व 10 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के ससूर व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 बाबा प्रतिवादी संख्या 9 के पति कल्याण के द्वारा कय कर ली गयी व 15.03.1980 को ही कब्जा प्राप्त कर लिया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 निरंतर काबिज काश्त निरंतर चल रहे है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज कल्याण ने कय की गयी भूमि का विकय पत्र नुमाईशी केता वादी के बडे भाई रामपाल के नाम करवायी जब रामपाल की उम्र महज 13 वर्ष रही जो 13 वर्ष का बालक न तो संविधा कर सकता न ही प्रतिफल की व्यवस्था कर सकता विकय पत्र 15.03.1980 की निशा में वादी के बडे भाई रामपाल के पक्ष में 26.12.88 की नामान्तकरण संख्या 110 भरा जाकर तस्दीक किया जिसका राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नही हो सका। अभी वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

की खातेदारी पूर्व खातेदारी नाथू पुत्र मोहना के नाम से चली आ रही है। जो लोपित कर प्रतिवादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी ने दावे के समर्थन में एक्स पी 1 जमाबंदी एक्स पी 2 विक्रय पत्र दिनांक 15.03.1980 एक्स पी 3 नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 26.12.1988 को भरा जाकर तस्दीक किया गया परन्तु सहवन से जमाबंदी में इन्द्राज नही हुआ दौराने सेटलमेंट विवादित भूमि खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.20 है0 कायम किये गये जिसकी खातेदारी वर्तमान में पूर्व खातेदार के नाम दर्ज करवा दी गयी। विवादित भूमि का विक्रय प्रतिफल वादीगण के पिता ने अदा किया लेकिन रजिस्ट्री बडे वादी के बडे भाई के नाम करवा दी गयी, उस समय बडा भाई मात्र 13 वर्ष का नाबालिक था भूमि वादग्रस्त पर कल्याण के वारिसान का 1/6, 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि को वदीगण के पिता कल्याण के द्वारा संयुक्त आय से क्रय की गयी है जो भली प्रकार से संयुक्त आय से क्रय की गयी भूमि पर वादीगण व प्रतवादीगण का बराबर बराबर का हित निहित होने से वादीगण व प्रतिवादीगण को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है। इस बाबत खण्ड –3 अध्याय 8 पैतृक सम्पत्ति के पेज 145 मे अंकित नजीर में सभी सदस्यों की आय से सम्पत्ति पेतृक सम्पत्ति रजनीकान्त बनाम जगमोहन पाल ए0 आई0 आर0

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

1923 पीसी 57 (58, 59) 50 इंडियन अपील्स 173 तथा मल्लसप्पा बन्देप्पा बनाम देसाई मल्लेप्पा (ए0आई0आर0 1961 एम0 सी0 1268(1271)) के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां कुटुम्ब के सभी सदस्यों ने अपनी स्वअर्जित धन को स्वेच्छा लगाकर सम्पत्ति बनाई तथा उसके आय व्यय संयुक्त रखा जाता है तो ऐसी स्थिति को संयुक्त सम्पत्ति माना गया है। उक्त नजीर उक्त वाद पर भली भांति चस्पा होने से दावा वादी प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार पूर्व खातेदार नाथू पुत्र मोहना के नाम से चली आ रही जिसको लोपित कर वादीगण व प्रतिवादीगण को हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम चन्दलाई मे पूर्व खातेदार पुत्र मोहना का नाम हजफ किया जाकर वादी को 1/6 हिस्से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को 1/6 हिस्से का प्रतिवादी 7, 8, 9, 10 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
30/12/19

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:05 IST
Reason: SelfAttested